तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनकनिंदा [illegible]
1-11-21	प्रार्थी [illegible] 'प्रार्थी' के द्वारा प्रतिवेदन [illegible] के तहत [illegible] के निमित्त पेश हुई। पक्षकारान के [illegible] तहसीलदार मैनवां की रिपोर्ट शामिल है। तहसीलदार मैनवां की [illegible] ग्राम [illegible] के अनुसार [illegible] दि. 16-2-18 [illegible] नामा. सं. 252 [illegible] नामा. [illegible] प्रार्थी काबूलाल का नाम हुकमा [illegible] हो गया, जबकि प्रार्थी [illegible] आधार कार्ड का [illegible] मतदाता पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम काबूलाल दर्ज है। मुताबिक जाँच एवं सरपंच ग्राम पंचायत मोड़सा के अनुसार काबूलाल एवं हुकमा एक ही व्यक्ति है। अतः प्रार्थी का नाम रेकर्ड में हुकमा के स्थान पर काबूलाल दर्ज किया जाना उचित है। हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज तथा तहसीलदार मैनवां की रिपोर्ट का अवलोकन किया। बहस उपस्थित पक्षकारान सुनी गई। तहसीलदार मैनवां की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि काबूलाल एवं हुकमा एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः संशोधन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः ग्राम देवपुरा [illegible] पटवार हल्का मोड़सा तहसील मैनवां की जमाबंदी संवत 2061 से 2064 की खसरा सं. 303/2-00, 316/6-17, 327/16-05, 310/237 8-00, कुल किता 4 कुल रकबा 30-02 बीघा खाता सं. नया 146 में दर्ज "हुकमा" के स्थान [illegible] हुकमा पि. शोभा [illegible] काबूलाल [illegible] दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
मैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:22:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म की तामील में जारी हुए
किये जाने के आदेश तहसीलदार नैनवां को दिये जाते है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:22:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner